[राज्य सभा में 18 नवम्बर, 2016 को पुर:स्थापित रूप में]

2016 का विधेयक संख्यांक 53

आतंकवाद प्रायोजक देश की घोषणा विधेयक, 2016

किसी देश को आतंकवाद प्रायोजक देश घोषित करने और ऐसे देश से आर्थिक तथा व्यापारिक संबंध समाप्त करने और उस देश के नागरिकों पर विधिक, आर्थिक और यात्रा प्रतिबंध लगाने और तत्संसक्त अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए

विधेयक

यत: पाकिस्तान इस्लामिक गणराज्य आतंकवाद का समर्थन करता है और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के एजेंटों को प्रश्रय देता है जो हमारे देश की धरती और जनता पर बार-बार हमला करते हैं;

और यत: पाकिस्तान इस्लामिक गणतंत्र इस क्षेत्र की शांति और सुरक्षा के लिए निरंतर खतरा बना हुआ है, जब तक कि यह आतंकवादियों को प्रश्रय दे रहा है और हमारे देश की धरती और लोगों के विरुद्ध आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन कर रहा है;

अब, इसलिए हमारे देश और इसकी जनता के हितों की रक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर कार्रवाई को समन्वित करना आवश्यक हो गया है।

भारतीय गणतंत्र के सड़सठवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।

1. (*1*) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम देशों को आतंकवाद प्रायोजक देश के रूप में घोषित करने संबंधी अधिनियम, 2016 है।

(*2*) इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है।

(*3*) यह उस तारीख से प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) ''दुष्प्रेरण करना'' में इसके व्याकरणिक रूप भेदों और सजातीय पदों के साथ निम्नलिखित शामिल है,

(i) ऐसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्गों के साथ संप्रेषण या संपर्क जो किसी भी प्रकार से आतंकवादियों या अशांति फैलाने वालों को सहायता देने में लिप्त है;

(ii) किसी विधिक प्राधिकार के बिना ऐसी किसी भी सूचना को प्रदान करना या प्रकाशन करना जिससे आतंकवादियों और अशांति फैलाने वालों को सहायता मिल सकती है, और आतंकवादियों या अशांति फैलाने वालों से प्राप्त किसी दस्तावेज या सामग्री को प्रदान करना या प्रकाशन करना या वितरण करना;

(iii) आतंकवादियों या अशांति फैलाने वालों को वित्तीय अथवा अन्यथा रूप से सहायता देना।

(ख) ''आतंकवाद का राज्य प्रयोजक'' ऐसे देश की सरकार, जिसे भारत सरकार ने विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 विदेशी संदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 के प्रयोजनार्थ या भारत में लागू कानून के किसी अन्य उपबंध द्वारा निर्धारित किया हो, से अभिप्रेत है जिसने अपने माध्यमों या सेवानिवृत्त अधिकारियों के माध्यम से अथवा आतंकवादी कृत्यों के लिए अपनी धरती के उपयोग को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने में लापरवाही बरतने के जरिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आतंकवादी कृत्यों को समर्थन प्रदान किया है: 1992 का 22 2010 का 42

परन्तु यह कि ऐसे देश को, केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम की अनुसूची में शामिल करके आतंकवाद का राज्य प्रायोजक के रूप में नामित किया जाएगा।

(ग) ''आतंकवादी कृत्य'' से भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा या संप्रभुता को खतरे में डालने की मंशा से किया गया कृत्य, या भारत में या विदेश में जनता या उसके किसी हिस्से को आतंकित करने की मंशा से किया गया कृत्य या भारत सरकार या किसी अंतर्राष्ट्रीय सरकारी संगठन को धमका कर प्रभावित करने की मंशा से किया गया कृत्य अभिप्रेत है—

(i) बम, डायनामाइट या अन्य विस्फोटक सामग्री या ज्वलनशील सामग्री या आग्नेयास्त्र या अन्य घातक हथियार या जहरीली या हानिकारक गैस या अन्य रसायनों या हानिकारक स्वरूप के अन्य कोई पदार्थ (चाहे वह जैविक, रेडियोधर्मी, परमाणु या अन्यथा हो) के उपयोग के द्वारा या किसी भी स्वरूप के अन्य माध्यमों द्वारा ऐसा करना जिससे—

(क) किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को चोट पहुंचे या उनकी मृत्यु हो जाए; या

(ख) संपत्ति की क्षति, हानि या विनाश हो जाए; या

(ग) भारत या विदेश में समुदाय के जीवन के लिए आवश्यक किसी आपूर्ति या सेवा में बाधा पहुंचे; अथवा

(घ) भारत में या विदेश में, भारत की रक्षा या भारत सरकार किसी राज्य सरकार या उनकी किसी एजेंसी के किसी प्रयोजन के संबंध में प्रयुक्त अथवा उपयोग की जाने वाली संपत्ति को हानि पहुंचे या उसका विनाश हो; या

(ii) आपराधिक बल या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा या ऐसा करने के प्रयास द्वारा आतंकित करना या किसी सरकारी कर्मी की मृत्यु हो जाना या किसी सरकारी कर्मी को मारने का प्रयास करना; या

(iii) किसी इलेक्ट्रानिक प्रणाली, कंप्यूटर प्रणाली या नेटवर्क से गंभीर छेड़छाड़ करने या उसे गंभीर क्षति पहुंचाने का षड़यंत्र करना; या

(iv) भारत सरकार के विरुद्ध छद्म युद्ध छेड़ने के लिए किसी नागरिक सेना, अर्धसैनिक या छापामार बलों के प्रशिक्षण के लिए ऐसा रोकने हेतु किसी विधि को लागू न करने सहित प्रयोजन या उपबंधों के माध्यम से सहायता देना; या

(v) भारत सरकार किसी राज्य की सरकार या दूसरे देश की सरकार को कोई कार्य करने या न करने के लिए बाध्य करने हेतु किसी व्यक्ति को बंदी बनाना, उसका अपहरण करना और उस व्यक्ति को मारने या चोट पहुंचाने की धमकी देना या कोई अन्य कृत्य करना;

स्पष्टीकरण I—इस खंड के प्रयोजनार्थ सरकारी कर्मी केन्द्रीय सरकार द्वारा विधिविरुद्ध कार्यकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के तहत सरकारी कर्मी के रूप में राजपत्र में अधिसूचित संविधिक प्राधिकारी और अन्य कोई कर्मी अभिप्रेत है। 1967 का 37

स्पष्टीकरण II—इस खंड के प्रयोजनार्थ आतंकवादी कृत्य में एक से अधिक देशों की धरती का नागरिकों की संलिप्तता वाला आतंकवादी कृत्य शामिल है।

स्पष्टीकरण III—पूर्ववर्ती उपबंधों के प्रति किसी पक्षपात के बिना और जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, 'आतंकवाद' शब्द का अर्थ उपराष्ट्रीय समूहों या प्रछन्न एजेंटों द्वारा लड़ाई न कर सकने वाले लक्ष्यों के विरुद्ध किसी राजनीतिक, धार्मिक, नस्लवादी या विचारधारापरक कारक से प्रेरित होकर की गई सुनियोजित हिंसा भी शामिल है। 'लड़ाई न कर सकने वाले' से अभिप्राय असैनिकों के अलावा उन सेना कार्मिकों से भी है (चाहे वे सशस्त्र अथवा तैनाती पर हैं या नहीं) जो किसी युद्ध क्षेत्र में तैनात नहीं हैं।

(घ) ''व्यापार'' में किसी अन्य देश के साथ किसी भी प्रकार की मदों या सेवाओं या प्रौद्योगिकी का आयात या निर्यात शामिल है।

प्रतिबंध।

3. (1) किसी राज्य का अध्यक्ष, सरकार का सदस्य, कोई नागरिक या किसी देश में स्थित और अनुसूची में शामिल या राजपत्र में अधिसूचित निगमित निकाय, आतंकवाद प्रायोजक देश होने पर निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन होगा,—

(क) भारत के क्षेत्र के भीतर यात्रा करने और वीजा प्राप्त करने का पात्र होने;

(ख) भारत में स्थित किसी व्यक्ति, संस्था या निगमित निकाय के साथ व्यापार करने;

(ग) अनुदान, वित्तीय प्रेषण प्राप्त करने या प्रदान करने, कहीं भी स्थित वास्तविक या अवास्तविक, चल या अचल, साकार या निराकर परिसंपत्तियों में निवेश करने, या भारत में किसी व्यक्ति, संस्था या निगमित निकाय को वित्तीय सहायता या अन्य सहायता प्रदान करने;

(घ) सामुद्रिक गतिविधियों में शामिल होना, जिसमें मछली पकड़ना या जाल बिछाना या भारतीय जलसीमा में प्रवेश करना शामिल है लेकिन यहीं तक सीमित नहीं है;

(ङ) भारत की भौगोलिक सीमा के ऊपर से उड़ान भरना।

(2) यदि केन्द्रीय सरकार अनुमति दे, तो उप-धारा (1) के तहत किए गए प्रतिबंधों को हटाया जा सकता है या उनमें छूट दी जा सकती है, यह ऐसी समाप्ति या छूट प्रदान करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा लागू शर्तों के अधीन होगा।

आतंकवाद प्रायोजक देशों को सहायता देने या दुष्प्रेरित करने पर प्रतिबंध।

4. (1) यदि कोई व्यक्ति किसी राज्य का अध्यक्ष, सरकार का सदस्य, कोई नागरिक या किसी निगमित निकाय के रूप में, आतंकवाद प्रायोजक देश को सहायता देता है, या उसे दूष्प्रेरित करता है तो इस अधिनियम की धारा 3 में यथावर्णित सभी या कुछ प्रतिषेध, जैसा कि केन्द्रीय सरकार द्वारा उचित समझा जाए, के अध्यधीन होगा।

(2) यदि केन्द्रीय सरकार अनुमति दे, तो उप-धारा (1) के तहत किए गए प्रतिबंधों को हटाया जा सकता है या उनमें छूट दी जा सकती है, यह ऐसी समाप्ति या छूट प्रदान करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा लागू शर्तों के अधीन होगा।

आतंकवाद प्रायोजक देश के अधिकारियों का उत्तरदायित्व।

5. (1) केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा आतंकवाद प्रायोजक देश के रूप में घोषित किसी देश के अधिकारियों को दी गई उन्मुक्ति समाप्त करने के लिए उपबंध कर सकती है व उन्हें भारत में स्थित न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के अधीन कर सकती है।

(2) आतंकवाद प्रायोजक देश के रूप में घोषित किसी देश का कोई अधिकारी भारत में स्थित किसी न्यायालय में उसके विरूद्ध दायर ऐसे किसी मामले से उन्मुक्त नहीं होगा जिसमें निम्नलिखित कृत्यों द्वारा किसी व्यक्ति या संपत्ति को भौतिक क्षति पहुंचने या मृत्यु होने के कारण उस देश के मौद्रिक क्षतिपूर्ति और प्रतिपूर्ति का दावा किया गया हो—

(क) आतंकवादी कार्य; और

(ख) आतंकवाद प्रायोजक देश के रूप में घोषित किसी देश, या अधिकारी, कर्मचारी, या एजेंट द्वारा अपने कार्यालय, नियोजन, या ऐजेंसी की परिधि के भीतर किए गए कृत्य, चाहे वह अपराधपूर्ण कृत्य उस देश द्वारा कहीं पर भी किए गए हों।

आतंकवाद प्रायोजक देश को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा सहायता का विरोध।

6. केन्द्रीय सरकार भारत की आवाज़ और मत का उपयोग आतंकवाद प्रायोजक देश को किसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था की निधियों से ऋण या उसके अन्य उपयोग का विरोध करने में करेगी।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनार्थ, ''अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था'' शब्दों में अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक या किसी भी नाम वाली समतुल्य संस्था शामिल है।

आतंकवाद प्रायोजक देश की सरकार को सहायता पर प्रतिषेध।

7. केन्द्रीय सरकार ऐसे किसी देश को विधि के तत्समय प्रवृत्त किसी अधीन साख गारंटियों, अथवा अन्य वित्तीय सहायता के प्रावधानों सहित कोई सहायता प्रदान नहीं करेगी जिसे आतंकवाद प्रायोजक देश के रूप में अभिहित किया गया है और केन्द्रीय सरकार द्वारा इस रूप में अधिसूचित किया गया है।

आतंकवाद प्रायोजक देश के साथ वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार पर प्रतिषेध।

8. (1) कोई भी व्यक्ति अथवा निगमित निकाय भारत के राज्य क्षेत्र से आतंकवाद प्रायोजक देश के रूप में अभिहित किसी भी देश को किन्ही वस्तुओं अथवा सेवाओं का निर्यात अथवा वहां से आयात नहीं करेगा।

(2) पूर्ववर्ती उपबंध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव हटाये बिना कोई भी व्यक्ति अथवा निगमित निकाय किसी भी बैंककारी संस्था के साथ अथवा विदेशी मुद्रा, माध्यम से अथवा साख अंतरण अथवा भुगतान द्वारा, संदाय उस परिमाण तक नहीं करेगा कि इन अंतरणों और संदायों में आतंकवाद प्रायोजक देश अथवा उसके किसी राष्ट्रिक हित अथवा आतंकवाद प्रायोजक देश की मुद्रा या प्रतिभूतियों का उस देश से आयात या उसे निर्यात शामिल हो।

(3) कोई भी व्यक्ति अथवा निगमित निकाय आतंकवाद प्रायोजक देश में अथवा आतंकवाद प्रायोजक देश की सरकार अथवा उसके किसी राष्ट्रिक की स्वामित्व वाली अथवा नियंत्रणाधीन सम्पत्ति में कोई निवेश नहीं करेगा।

अपराध और शास्तियां।

9. (1) यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के किसी उपबंध का उल्लंधन करता है, अथवा आतंकवाद प्रायोजक देश के साथ, किसी भी तरह से अन्यथा संव्यवहार करता है, तो वह उस अवधि तक के लिए, जिसे पांच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, कारावास अथवा जुर्माना अथवा दोनों से दंडनीय होगा तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी ऐसे उल्लघंन पर न्याय निर्णयन करने वाला न्यायालय, वह धनराशि अथवा साख, जिसके संबंध में उल्लंघन सिद्ध हुआ है, अथवा उसका ऐसा हिस्सा जिसे न्यायालय उचित समझे की वसूली हेतु सिद्ध दोष व्यक्ति पर अतिरिक्त जुर्माना कर सकता है। 1974 का 2

(2) पूर्ववर्ती उपबंध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम का उल्लंघन करता है, तत्समय प्रवृत्त और उस व्यक्ति पर लागू किसी अन्य विधि, के अधीन भी उस व्यक्ति पर विचारण किया जा सकता है।

(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा।

10. केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए नियम बना सकेगी। नियम बनाने की शक्ति।

अनुसूची

[खण्ड 2 (ख)]

1. पाकिस्तान इस्लामिक गणराज्य

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हमारा देश और वास्तव में इस क्षेत्र में और संसार भर में स्थित अनेकों देश पाकिस्तान इस्लामिक गणराज्य की सरकार की सहायता से वहाँ स्थित संगठनों और व्यक्तियों से अनेकों आतंकी हमलों का सामना कर रहे हैं। विशेषकर, भारत ने 26/11 मुम्बई हमले और सभी हाल ही में 18 सितम्बर, 2016 को उरी हमले जैसे अनेकों हमलों का सामना किया है। इस हमले की और पाकिस्तान इस्लामिक गणराज्य की अधिकांश राष्ट्रों द्वारा व्यापक रूप से अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर निंदा की गई।

भारत में पाकिस्तान इस्लामिक गणराज्य प्रायोजित आतंकी गतिविधियों को सिद्ध करने संबंधी अकाट्य साक्ष्यों के बावजूद हमने दशकों से पाकिस्तान इस्लामिक गणराज्य के साथ कूटनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध बनाए रखा है।

पिछले एक दशक से भारत द्वारा अपनाए जा रहे राजनीतिक संयम की भारी कीमत चुकानी पड़ी है। हमारे सुरक्षा बलों के सैकड़ों बहादुर जवान और नागरिक हमारी ही धरती पर विभिन्न हमलों में मारे गए हैं। पाकिस्तान इस्लामिक गणराज्य हाफीज सईद जैसे खतरनाक आतंकवादियों तथा तालिबान, अल-कायदा, जमा-उल-दाव, जैश-ए-मोहम्मद, द हक्कानी नेटवर्क, लश्कर-ए-तएबा और ऐसे ही कितने अन्य आतंकवादी संगठनों को सुरक्षित आश्रय प्रदान करता आ रहा है।

भारत के विरुद्ध लड़े जा रहे परोक्ष युद्ध से भारत को भी अप्रत्याशित आर्थिक व्यय उठाना पड़ा है। यद्यपि पाकिस्तान की पहचान एक आतंकी देश के रूप में किए जाने और उसे आतंकी देश घोषित किये जाने के लिए हम अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय की ओर देख रहे हैं, किन्तु सबसे ज्यादा प्रभावित देश के रूप में इस दिशा में पहला कदम हमें ही उठाना होगा। हमें अपनी सम्प्रभुता पर बारम्बार हमलों की मात्र निंदा करने से आगे बढ़ना होगा तथा पाकिस्तान इस्लामिक गणराज्य को एक आतंकी देश घोषित करने के लिए निर्णायक एवं मजबूत कदम उठाना होगा।

यह विधेयक अंतराष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद को फैलाने और उसे प्रायोजित करने के लिए पाकिस्तान इस्लामिक गणराज्य के प्रति हमारी घोर निंदा तथा खतरनाक आतंकवादियों एवं आतंकी संगठनों को सुरक्षित आश्रय प्रदान करने में इसकी भूमिका की पहचान और पाकिस्तान से आतंकवादियों द्वारा घुसपैठ किये जाने को बढ़ावा देने और उसमें सहायता देने में इसकी सक्रिय भूमिका को रेखांकित करता है।

पाकिस्तान इस क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता के लिए लगातार खतरा उत्पन्न करता रहा है और यह विधेयक पाकिस्तान के साथ भविष्य में आर्थिक, व्यापारिक, खेल एवं सांस्कृतिक समझौतों को समाप्त करने और उनका प्रतिषेध करने के लिए है।

अत: विधेयक प्रस्तुत है।

राजीव चंद्रशेखर

प्रत्यायोजित विधान संबंधी ज्ञापन

विधेयक के खण्ड 10 में उपबंध किया गया है कि इस विधेयक के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए केन्द्रीय सरकार नियम बना सकती है। ये नियम केवल ब्यौरे के मामलों से संबंधित होंगे। विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकार का है।

राज्य सभा

———

किसी देश को आतंकवाद प्रायोजक देश घोषित करने और ऐसे देश से आर्थिक तथा व्यापारिक संबंध समाप्त करने और उस देश के नागरिकों पर विधिक, आर्थिक और यात्रा प्रतिबंध लगाने और तत्संसक्त अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए

विधेयक

———

(श्री राजीव चन्द्र शेखर, संसद सदस्य)

GMGIPMRND—3201RS(S-3)—18-11-2016.